

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(8)राज/वाद/24

जयपुर दिनांक: 15/04/2026

—:: आदेश ::—

निम्नांकित सूची के कॉलम संख्या-2 में वर्णित अतिरिक्त महाधिवक्तागण द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में उनकी सहायतार्थ, उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में वर्णित अधिवक्ता को, कॉलम संख्या-5 में अंकित दिनांक से उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	अतिरिक्त महाधिवक्ता का नाम	अधिवक्ता का नाम	पंजीयन क्रमांक	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री सज्जन सिंह राठौड़, जोधपुर	श्री युवराज सिंह राठौड़	आर/2256(1)/2019	01.04.2026
2.	श्री कपिल प्रकाश माथुर, जयपुर।	सुश्री दिव्या राठौड़	आर/2518/2019	17.03.2026

सामान्य शर्तें, अनुबन्ध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-


1. जूनियर अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर को प्रकरण में देय उपस्थिति फीस की 10 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता की अनुशंषा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों को ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हों।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

दृ०

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज०।
4. सम्बन्धित अतिरिक्त महाधिवक्ता।
5. सम्बन्धित अधिवक्ता।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. सहायक लेखाधिकारी-1, वादकरण।
8. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।


15/04/26
(महेश पुनेठा)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)